

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2862] No. 2862] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 29, 2019/भाद 7, 1941

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 29, 2019/BHADRA 7, 1941

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29, अगस्त, 2019

का.आ. 3134(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 सितम्बर, 2019 को उक्त अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों के प्रभावी होने की तारीख के रूप में निर्धारित करती है।

[फा. सं. पी. 16011/03/2019-टीसी]

विकास शील, संयक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2019

S.O. 3134(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby appoints the 1st day of September, 2019 as the date on which the provisions of section 11 of the said Act shall come into force.

[F. No. P. 16011/03/2019-TC]

VIKAS SHEEL, Jt. Secy.

4479 GI/2019